

एग्री क्लिनिक्स एवं एग्री बिजनैस केन्द्र (एसीएबीसी) की स्थापना के लिए कृषि स्नातकों को वित्तपोषण

पात्रता :

- (i) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों राज्य कृषि एवं सम्बद्ध विभाग एवं तकनीकी शिक्षा के विभाग से कृषि एवं सम्बद्ध विषयों में (कम से कम 50%) डिप्लोमा / स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक। अन्य एजेंसियों के कृषि एवं सम्बद्ध विषयों में डिप्लोमा धारक भी पात्र होंगे यदि राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एजेंसी अनुमोदित हो ।
- (ii) जैव विज्ञान स्नातक जिन्होंने कृषि सम्बद्ध विषयों में स्नातकोत्तर किया हो ।
- (iii) डिग्रीधारक जिन्होंने यूजीसी से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में कृषि एवं सम्बद्ध विषयों के बारे में 60% से अधिक पढ़ा हो ।
- (iv) ऐसे डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक जिन्होंने मान्यता प्राप्त कॉलेजों / विश्वविद्यालयों से बायोलॉजी विज्ञान सहित बीएससी के पश्चात 60% से अधिक कृषि एवं सम्बद्ध विषयों के बारे में पढ़ा हो ।
- (v) कम से कम 55% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (अर्थात्+2) के स्तर पर कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम

ऋण की सीमा :

आवश्यकता आधारित, वित्तीय व्यवहार्यता और तकनीक व्यवहार्यता के आधार पर आवश्यकता आधारित ।

चुकोती :

प्रोजेक्ट से प्राप्त आय के आधार पर मासिक/तिमाही/ छमाही/ वार्षिक अवधि में (बैंक की सम्बद्ध ऋण योजना में जैसे निर्धारित हो) चुकाया जायेगा ।

नोट : अधिक जानकारी के लिए एग्रीकल्चर बैंकिंग लिंक में - किसान - पीएनबी क्षेत्र की योजना